उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या-243/2022/आई/156307/41-1001(009)/1/2021
लखनऊ दिनांक 13 अप्रैल, 2022

कार्यालय ज्ञाप

लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 प्रयागराज द्वारा साक्षात्कार के आधार पर संस्तुत सीधी भर्ती के निम्नलिखित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/प्रचार अधिकारी को उत्तर प्रदेश पर्यटन सेवा नियमावली-1980 यथा संशोधित-1998 के नियम-21 में निहीत व्यवस्था के तहत क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी /प्रचार अधिकारी के पद पर निर्धारित 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त उनकी मौलिक नियुक्ति के आधार पर स्तम्भ-6 में उल्लिखित तिथी से क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/प्रचार अधिकारी के पद पर स्थायी किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:'

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती का जनपद/स्थान	मौलिक नियुक्ति विषयक शासनादेश संख्या एवं दिनांक	योगदान की तीथि	परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने की तिथी/स्थायीकरण की तीथी
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती कीर्ति	झांसी	सं0-1218/41-2013-322 सा0/2012, दिनांक 28.05.2013	29.05.2013	29.05.2015
2	श्रीमती अन्जू चौधरी	मेरठ	सं0-1217/41-2013-322 सा0/2012, दिनांक 28.05.2013	29.05.2013	29.05.2015

2- उपर्युक्त अधिकारियों की सूची का क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारियों/प्रचार अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची से कोई सम्बन्ध नही है।

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-1015/2-8(1)/स्थायीकरण/का0/2014, दिनांक 30.06.2021 के सम्बन्ध में।
3. सचिव लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-59/07/डी0आर0/एस0-9/2010-11 दिनांक 10.09.2012 के सम्बन्ध में।
4. संबंधित क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी द्वारा महानिदेशक,पर्यटन।
5. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली/चरित्र पंजिका।
6. गार्ड फाइल।

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in